

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:- मुसप्र/2015/170

दिनांक:- 18/5/15

आदेश

उप आवासन आयुक्त वृत्त-उदयपुर के अधीन विभिन्न योजनाओं में अधिशेष निर्मित आवास/फ्लटों के निस्तारण अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-तृतीय के प्रस्तावानुसार नीलामी के माध्यम से किये जाने की स्वीकृति एतदद्वारा प्रदान की जाती है। नीलामी के अन्तर्गत निस्तारण किये जाने वाले आवासों का विवरण निम्नानुसार है :—

क्र.सं	योजना का नाम	आय वर्ग	आवास संख्या	कुल आवास
1.	चन्द्रशेखर, आजाद नगर, भीलवाड़ा	MIG-B	1-F-1 & 1-F-7	2
2.	शास्त्री नगर, भीलवाड़ा	MIG-B	1-B-7	1
3.	शास्त्री नगर विस्तार, भीलवाड़ा	LIG	4-D-1 & 5-C-29	2
4.	बापु नगर, भीलवाड़ा	LIG	1-क-33	1
			Total	6

बोर्ड बैठक दिनांक 24.04.13 के बिन्दु संख्या 218.87 के निर्णयानुसार यह आदेश जारी किये जा रहे हैं।


मुख्य सम्पदा प्रबंधक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव, आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. निजी सहायक, सचिव/वित्तीय सलाहकार/मुख्य अभियन्ता(मु0), प्रथम /द्वितीय/ निदेशक (विधि) /मुख्य सम्पदा प्रबंधक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (मु0)/प्रथम/द्वितीय/पी.एण्ड.एम/अतिं० मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. उप आवासन आयुक्त वृत्त.....राजस्थान आवासन मण्डल,।
6. आवासीय अभियन्ता खण्ड.....राजस्थान आवासन मण्डल.....।
7. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाइट पर अपलोड व सभी को मेल करें।
8. सहायक निदेशक, जनसम्पर्क अधिकारी, राज० आ० मण्डल, जयपुर।
9. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र (मु.) राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।


मुख्य सम्पदा प्रबंधक